## राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले. प्रशि. / 2017 / अलेसे-111 / 75 3

दिनांक : 63-10-2017

## आदेश संख्या 16 / 2017-18

श्री जितेन्द्र लूणू (मेरिट सं. 1618/2013) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर को क्षेत्रीय पशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नाग्नेचेजी मन्दिर रोड़, बीकानेर में दिनांक 03.10.2017 से 24.11.2017 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 03.10.2017 को प्रातः 9.30 बजे आधारभूत प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है।

उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान—पान आदि की व्यवस्था स्वंय के स्तर पर करनी होगी तथा प्रशिक्षण अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी। उक्त प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त कर्निष्ठ लेखाकार को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय / विभाग में कार्यरत उपरोक्त किनष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें क्योंकि किनष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि उक्त कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अविध में या प्रशिक्षण अविध की समाप्ति के एक वर्ष की अविध में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अविध में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन—भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। श्री जितेन्द्र लूणू, प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उक्त किनष्ट लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

> (प्रदीप माथुर) अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—III)

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)(6) / क.ले. प्रशि. / 2017 / अलेसे—III / 75 😩

दिनांक : 03-10-2017

## प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

- 2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ.6(1)(3)टीएन्डपी:—ा/रीपा/2017—18/10691—97 दिनांक 12.09.2017 के क्रम में।
- 3. अतिरिक्त निदेशक, हिरश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नाग्नेचेजी मन्दिर रोड़, बीकानेर को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म किनष्ठ लेखाकारों से पूर्ती करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त किनष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रुप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।

5. श्री जितेन्द्र लूणू, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर, को प्रेषित कर लेख है कि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को आदिनांक तक भिजवावें।

6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

रिक्षत / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—॥)

	·
	This bond is made on the date of 2017 by Son of Shri
	resident of appointed to the post of
	ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and
	Son of Shri resident of (First Surety); and
	Son of Shri resident of (Second surety)
	hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the State of
	Rajasthan (hereinafter called the Government).
	Whereas the Governor has solected the trainee for appointment to the post of
	ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.
	And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent
	charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of
	weeks.
	And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms
,	mereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due
	performance by the trainee of the said terms.
	And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the
	said terms in the manner hereinafter after appearing.

## Now this deed witnesses as follows:-

- (1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursurance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of the spear after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.
- (2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of one year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the ainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the expluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by who of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Accepted D.T.A